प्रपत्र–क

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहरसा

उपस्थितः– गोपाल जी, सत्र न्यायाधीश, सहरसा

निर्णय तिथिः– 14.08.2024

सत्रवाद संख्या–127/2021

बिहरा थाना कांड संख्या–127/2020, अंतर्गत धारा 148/147/149, 323, 324, 307, 302, 379, 504, 506 भा0द0वि0।

सूचक	राज्य द्वारा राजेश यादव, पिता–स्व0 रामजी यादव, साकिन–विशनपुर, थाना–बिहरा, जिला–सहरसा।
द्वारा प्रस्तुत	श्री आर0पी0यादव, विद्वान लोक अभियोजक
बनाम	
अभियुक्तगण	1. अमित यादव, उम्र–25, पिता–बुचो यादव, साकिन– विशनपुर वार्ड नंबर–9, थाना–बिहरा, जिला–सहरसा (A1) 2. गुनाय यादव, उम्र–50, पिता–स्व0 दुखा यादव, साकिन–विशनपुर वार्ड नंबर–9, थाना–बिहरा, जिला–सहरसा (A2) 3. खोखा यादव, उम्र–61 वर्ष, पिता–स्व0 रघुनाथ यादव, साकिन–विशनपुर वार्ड नंबर–9, थाना–बिहरा, जिला–सहरसा (A3) 4. अरबिन्द यादव, उम्र–32 वर्ष, पिता–खोखा यादव, साकिन–विशनपुर वार्ड नंबर–9, थाना–बिहरा, जिला–सहरसा (A4) 5. किरण देवी, उम्र–56 वर्ष, पति–खोखा यादव, साकिन–विशनपुर वार्ड नंबर–9, थाना–बिहरा, जिला–सहरसा (A5)
द्वारा प्रस्तुत	श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद, श्री अरूण कुमार, श्री रामकृष्ण प्रसाद विद्वान अधिवक्ता

प्रपत्र–ख

घटना की तिथि	14.06.2020
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	15.06.2020
आरोप पत्र समर्पित करने की तिथि	11.09.2020 एवं 06.07.2021
आरोप गठन की तिथि	24.11.2021
साक्ष्य का आरंभ	09.12.2021
निर्णय हेतु तिथि सुरक्षित	31.07.2024
निर्णय तिथि	14.08.2024
सजा के बिन्दु पर आदेश, यदि हो तो	––

अभियुक्त का विवरण

क्रम सं0	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोप गठित अंतर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोष सिद्धि	सुनायी गयी सजा	द0प्र0स0 428 के निमित्त विचारण के दौरान कारा में बितायी गयी अवधि
A1	अमित यादव	27.06.2020	––	147, 148, 323/34, 302/149, 307/149,	दोषमुक्ति	––	––
A2	गुनाय यादव	23.08.2020	––				

A3	खोखा यादव	16.06.2020	24.07.2021	324, 341, 504, 506 भा0द0वि0			
A4	अरबिन्द यादव	16.06.2020	24.07.2021				
A5	किरण देवी	07.10.2020	18.08.2021				

निर्णय

1. उपरोक्त नामित पॉचों अभियुक्तगण भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 341, 323, 324, 307, 302, 504, 506 सपठित धारा 149 के अंतर्गत विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य के रूप में फरसा, दबिया एवं लोहे के रॉड जैसे घातक हथियार से लैश होकर इस कांड के वादी राजेश यादव के भाई सक्कन यादव उर्फ सिकेन्दर यादव को सदोष अवरोध कारित कर फरसा आदि हथियार से स्वेच्छया उपहति कारित करने, सक्कन यादव उर्फ सिकेन्दर यादव की हत्या का प्रयत्न करने तथा हत्या करने तथा लोक शांति भंग कराने के आशय से सक्कन यादव उर्फ सिकेन्दर यादव का साशय अपमान करने तथा आपराधिक अभित्रास कारित करने के आरोपों में आरोपित एवं विचारित है।

कथित घटना दिनांक 14.06.2020 को साकिन विशनपुर, थाना–बिहरा, जिला–सहरसा में घटित होना कहा गया है।

2. सूचक द्वारा दिनांक 15.06.2020 को थाना में दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक राजेश यादव तथा उनके भाई सक्कन यादव उर्फ सिकेन्दर यादव का पूर्व से जमीनी विवाद चला आ रहा था, जमीनी विवाद के कारण दिनांक 14.06.2020 दिन रविवार, संध्या सात बजे सूचक का भाई सक्कन यादव बगल के चाय के दुकान से चाय पीकर अपने घर आ रहा था, जब उसका भाई अपने घर के सामने सड़क पर आया तो खोखा यादव, अरबिन्द यादव, किरण देवी, गुनाय यादव, अमित यादव, गिनगिनिया देवी एवं तीन चार अन्य अज्ञात व्यक्ति मिलकर सूचक के भाई को जबरदस्ती पकड़ कर अपने दरवाजे पर ले गया और अरबिन्द यादव आदेश दिया कि साले को जान से मार दो एवं यह भी कहा कि साला जब तक यह जिन्दा रहेगा तब तक जमीन हासिल नहीं होगा, सभी मुदालह के हाथ में फरसा, दबिया एवं लोहे का रॉड था, खोखा यादव एवं अमित यादव सूचक के भाई का दोनों हाथ पकड़ लिया, किरण देवी सूचक के भाई के कमर में लटक गयी, गुनाय यादव अपने हाथ में लिये फरसा से जान मारने की नीयत से सूचक के भाई के सिर पर मारा जिससे उसका सिर गंभीर रूप से जख्मी हो गया तथा खून बहने

लगा, उसका भाई जमीन पर गिर गया, गिरने के बाद अरबिन्द यादव, किरण देवी एवं अमित यादव, गुनाय यादव अपने अपने हाथ में लिये दबिया से गिरे अवस्था में उसके शरीर के विभिन्न भागो पर मारने लगा, जिससे उसके शरीर का विभिन्न अंग जख्मी हो गया तथा सूचक के सभी परिवार के लोग इस तरह की घ टना करने से मना किया तो मुदालह लोग अपने अपने हाथ में लिये हथियार से सूचक के परिवार के लोगों को जान मारने के लिये दौड़े। हत्या करने के बाद सभी मुदालह फरार हो गये तब सूचक के परिवार के लोग अपने भाई को सदर अस्पताल, सहरसा लाये जहॉ डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ तथा लाश सूचक को सौंप दिया गया। विजेन्द्र यादव, मुकेश यादव, सुरेश यादव एवं गॉव के अन्य लोग भी घटना को अपनी ऑख से देखें हैं। किरण देवी सूचक के भाई के हाफ पैंट में रखा नगद दस हजार एवं सोने का चेन एक भरी कीमत चालीस हजार रूपया, ले लिया। गॉव में सभी मुदालहगण सूचक तथा उसके परिवार वालों पर फिर से कोई घटना कर सकते है या करवा सकते है।

3. सूचिका के लिखित आवेदन के आधार पर खोखा यादव, अरबिन्द यादव, किरण देवी, गुनाय यादव, अमित यादव, गिनगिनिया देवी एवं अन्य तीन–चार अज्ञात के विरूद्ध धारा 148/147/149, 323, 324, 307, 302, 379, 504 एवं 506 भा0द0वि0 के अंतर्गत बिहरा थाना कांड संख्या–127/2020 दिनांक 15.06.2020 दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी अभियुक्त खोखा यादव, अरबिन्द यादव, अमित यादव, गुनाय यादव के विरूद्ध धारा 147/148/149/341/323/324/326/307/302/504/506 भा0द0वि0 के तहत मूल आरोप पत्र संख्या 159/2020 दिनांक 06.09.2020 समर्पित किया। तत्पश्चात् तत्कालीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा उपरोक्त चारो अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 326, 307, 302, 504 एवं 506 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया एवं अभियुक्ता किरण देवी के विरूद्ध पूरक अभिलेख खोला गया तथा मूल अभिलेख दौरा सुपुर्दगी हेतु विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी के यहॉ स्थानांतरण किया गया। अनुसंधानकर्ता ने शेष प्राथमिकी नामित अभियुक्ता किरण देवी के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र 272/2020 दिनांक 31.12.2020 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 324, 341, 323, 324, 326, 307, 302, 504 एवं 506 भा0द0वि0 के तहत समर्पित किया और शेष अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा। विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्ता किरण देवी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाते हुये अभियुक्ता का पूरक अभिलेख दौरा सुपुर्दगी हेतु विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के यहॉ स्थानांतरण किया गया।

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सहरसा के आदेश दिनांक 30.03.2021 के द्वारा पूरक अभिलेख को मूल अभिलेख में समाहित किया गया एवं अभिलेख विद्वान सत्र न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया जो इस न्यायालय में दिनांक 03.04.2021 को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् सत्र वाद संख्या 127/2021 पंजीकृत हुआ। अभिलेख वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ के यहॉ स्थानांतरण किया गया जहॉ पॉचों अभियुक्तों के उपस्थिति पश्चात् उनके विरूद्ध धारा 147, 148, 323/34, 302/149, 307/149, 324, 341, 504, 506 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोपों का गठन कर उन्हें हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण इनकार किये और विचारण की मांग किये। पुनः वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को दिनांक 12.04.2023 को प्राप्त हुआ।

4. संक्षेप में बचाव पक्ष ने संपूर्ण अभियोजन मामला को इनकार किया है तथा अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष बताया है।

5. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अपने मामले को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है?

मंतब्य

6. अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में कुल तीन अभियोजन साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित किया है जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–1 बूचन यादव, अभियोजन साक्षी संख्या–2 सूचक राजेश यादव और अभियोजन साक्षी संख्या–3 अनुसंधानकर्ता प्रमोद झा हैं।

उक्त मौखिक साक्ष्य के अलावा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से लिखित आवेदन पर सूचक के हस्ताक्षर को प्रदर्श–P-1/P.W.-2 एवं लिखित आवेदन पर कांड के पंजीयन और अनुसंधान का भार ग्रहण करने संबंधी पृष्ठांकन को प्रदर्श–P-2/P.W.-3 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षियों में अभियोजन साक्षी संख्या 1 बूचन यादव ने अपने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूॅ और पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ है। इस साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन की ओर से इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में

इस साक्षी ने पुलिस के समक्ष दिये गये बयान से इनकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त मेरे गॉव आता जाता है, इसलिये पहचानता हूँ।

8. अभियोजन साक्षी संख्या 2 इस वाद के सूचक राजेश यादव है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 14.06.2020 की है, समय सात बजे शाम का था। सिकन्दर यादव चाय पीने के लिए दुकान पर गये थे, चाय पीकर अपने घर की ओर लौट रहे थे, वह अपने घर के सामने पहुँचा तो खोखा यादव, अमित यादव दोनों उसका हाथ पकड़ लिया और गुणानंद यादव के दरवाजे पर ले गया, वहॉ अरबिन्द यादव बोला, साला को जान से मार दो, बचेगा तो जमीन हासिल नहीं होने देगा, उसपर गुणानंद यादव सकन यादव उर्फ सिकन्दर यादव के कपार पर फरसा चला दिया, वह जख्मी होकर नीचे गिर गया, उसके बाद सारे आदमी मिलकर दबिया से, फरसा से उसको पूरा जख्मी कर दिया। खोखा यादव, अमित यादव, किरण देवी, गिनगिनिया देवी, अरबिन्द यादव सब मिलकर मारपीट किये। उसके बाद हमलोग वहॉ बचाने पहुँचे और पूछे कि काहे मार रहे हैं तो सारे आदमी बोला कि साले भागो नहीं तो तुमको भी जान से मार देंगे। मैं वहॉ चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद सभी अभियुक्त मारकर भाग गये। उसके बाद सिकन्दर यादव को सदर हास्पीटल ले गये। वहॉ उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुख्य परीक्षण के कंडिका 2 में इस साक्षी ने कहा है कि बिहरा थाना में लिखित आवेदन थाना प्रभारी से लिखवाये थे, उनका नाम याद नहीं है, जिसे पढ़कर सुनाया गया, जिसे सही पाकर उसपर अपना हस्ताक्षर कर दिया। अभियोजन की ओर से इस साक्षी के पहचान पर हस्ताक्षर को प्रदर्श–P-1/P.W.-2 अंकित कराया गया है। मुख्य परीक्षण के कंडिका 3 में इस साक्षी ने कहा है कि न्यायालय में उपस्थित तीन अभियुक्त गुणानंद यादव, अरबिन्द यादव और अमित यादव को पहचानता हूँ, अन्य को देखकर पहचान लूंगा। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कंडिका 4 में कहा है कि मृतक सिकन्दर यादव मेरे बड़े भाई थे। ये शादीशुदा थे, उनकी पत्नी का नाम सरिता देवी है, उसे तीन बाल बच्चा है, दो लडका और एक लड़की है। लड़का का नाम संतोष यादव और आशुतोष यादव है, लड़की का नाम प्रियंका देवी है। लडकी और लड़का सभी की शादी हो गयी है। ये सभी लोग घटना के दिन गॉव में ही घर पर थे। कंडिका 5 में इस साक्षी ने कहा है कि जहॉ घटना घटी वहॉ से मेरा घर 12–14 फीट के अंतर पर है। बीच में सड़क है। मुदालहों से जमीन का झंझट चल रहा था। जिस समय घटना घटी उस समय मैं घर पर था। मैं अपने दरवाजे पर से घटना देख रहा था। मैं हल्ला किया था, बचाने भी गया था। मेरे साथ कोई भी मारपीट नहीं किया। हल्ला होने पर मृतक

की पत्नी आयी थी। जब घटना घट गयी तो मैं भाई को उठाया था, उसे उठाकर अस्पताल ले गया था, उसके शरीर से खून बह रहा था, मेरे कपड़ा में खून लगा था। मैं गंजी पहना हुआ था और नीचे हाफ पैंट पहने हुए था। खून गंजी और हाफ पैंट दोनों में लगा था। पुलिस को खून लगा कपड़ा दिखाये थे, मेरा खून लगा कपड़ा पुलिस जप्त की थी। कंडिका 6 में इस साक्षी ने कहा है कि भाई को अस्पताल हाफ डाला टैंपू पर लेकर गये थे। अस्पताल लगभग आठ–नौ बजे के करीब रात में पहुॅचे थे। डाक्टर डाला पर ही देखे थे, भर्ती नहीं किये उसे मृत घ ोषित कर दिये। फिर लाश लेकर घर चले आये। सदर अस्पताल, सहरसा ले गये थे। सहरसा थाना देखा हूॅ, अस्पताल के थोड़ी दूर पर है। सहरसा थाना में खबर नहीं किये। अस्पताल से मेरा घर सात आठ किलोमीटर दूर है। मेरे घर से बिहरा थाना आठ–नौ किलोमीटर दूर है। बिहरा थाना में आठ–नौ बजे रात में फोन किये थे। मेरा भाई परवेश यादव मोबाईल से फोन किया था, मोबाईल नंबर याद नहीं है। पुलिस रात में आयी थी। पुलिस करीब नौ बजे के लगभग पहुॅच गयी। पुलिस मेरा बयान लिया था। मेरा बयान लगभग सवा नौ बजे के लगभग लिया गया, बयान पुलिस अपने हाथ से ली थी और मुझसे दस्तखत ली थी। कंडिका 7 में इस साक्षी ने कहा है कि लाश गाड़ी पर ही था, उसे उतारे नहीं थे। पुलिस शव को उसी रात देखा था, वहीं उसका कागज पत्तर रात में बनाया। नौ–दस बजे रात में कागज बनाया था। मेरे सामने कागज बनाया था, उसपर मैं अपना दस्तखत किया था, और कौन लोग दस्तखत किया था, यह नहीं जानता हूॅ। कंडिका 8 में इस साक्षी ने कहा है कि मुदालह लोग के घर पर पुलिस छापामारी की थी, मुदालह फरार थे। मुदालह के घर से दबिया, फरसा वगैरह बरामद नहीं हुआ था। खोखा यादव और अरबिन्द यादव को पुलिस उसी रात गिरफ्तार की थी, उसके पास से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। कंडिका 9 में इस साक्षी ने कहा है कि मृतक पर केस मुकदमा पहले से नहीं था। कंडिका 10 में इस साक्षी ने कहा है कि पुलिस घटना के बाद भी मेरा बयान ली थी, करीब चार पॉच दिन बाद बयान ली थी। दिन में पुलिस बयान ली थी। कंडिका 11 में इस साक्षी ने कहा है कि मैं पॉच भाई हूॅ। पॉचों भाई में मौखिक बंटवारा हो गया है। जमाबंदी और रसीद एक ही साथ कटता है। मृतक की पत्नी, बेटा, बेटी का बयान पुलिस नहीं ली थी। कंडिका 13 में इस साक्षी ने कहा है कि मैं घटना के संबंध में घटना के दूसरे दिन आवेदन दिया था। कंडिका 14 में इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया है कि जमीन दुश्मनी के कारण मुदालह लोग को झूठे केस में फंसा दिये हैं।

9. अभियोजन साक्षी संख्या 3 इस वाद के दूसरे अनुसंधानकर्ता प्रमोद झा हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 05.08.2020 को मैं

बिहरा थाना में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मैंने इस केस के अनुसंधान का भार अनुसंधानकर्ता अरबिन्द कुमार मिश्रा से ग्रहण किया। अनुसंधान का भार ग्रहण करने के बाद मैंने प्राथमिकी का अवलोकन किया। अनुसंधान का भार ग्रहण करने के बाद मैंने इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त गुनाय यादव एवं किरण देवी को गिरफ्तार किया। मैंने किसी भी गवाहों का बयान नहीं लिया। अनुसंधान के कम में किसी मुदालह का आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया। मैंने घटनास्थल पर कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया। कंडिका 2 में इस साक्षी ने कहा है कि लिखित आवेदन पर कांड दर्ज करने संबंधी और अनुसंधान का भार अरबिन्द कुमार मिश्रा द्वारा स्वयं लिये जाने संबंधी पृष्ठांकन अरबिन्द कुमार मिश्रा के ही लिखावट और हस्ताक्षर में है, मैं उनके लिखावट और हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। अभियोजन की ओर से इस साक्षी के पहचान पर लिखित आवेदन पर कांड के पंजीयन और अनुसंधान का भार ग्रहण करने संबंधी पृष्ठांकन को प्रदर्श–P-2/P.W.-3 अंकित कराया गया है। आगे मुख्य परीक्षण के कंडिका 3 में इस साक्षी ने कहा है कि उसके बाद मैंने वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार पॉच प्राथमिकी नामित अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 272/2020 दिनांक 31.12.2020 न्यायालय में समर्पित किया तथा प्राथमिकी नामित एक अभियुक्त गिनगिनिया देवी एवं तीन चार अज्ञात के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा। कंडिका 4 में इस साक्षी ने कहा है कि हाजिर अदालत तीन अभियुक्तों में से एक अभियुक्त गुनाय यादव को पहचानता हूँ और सह अभियुक्त किरण देवी को देखकर पहचान लूंगा तथा शेष अन्य अभियुक्तों को नहीं पहचानता हूँ। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के कंडिका 5 में इस साक्षी ने कहा है कि मैंने अनुसंधान के कम में किसी भी साक्षी का बयान न तो लिया है और न ही वाद दैनिकी में अंकित नहीं किया है और किसी भी अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का वर्णन भी मैंने वाद दैनिकी में नहीं किया है। मैं इस कांड में प्रथम अनुसंधानकर्ता से अनुसंधान भार ग्रहण करने के बाद न्यायालय में अभियुक्तों के विरूद्ध केवल आरोप पत्र दाखिल किया हूँ।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 2 राजेश यादव कांड के सूचक ने अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य के दौरान कहा है कि दिनांक 14.06.2020 को समय सात बजे शाम में उसका भाई सिकेन्दर यादव चाय पीकर घर लौट रहा था और जब अपने घर के सामने पहुँचा तो अभियुक्तगण खोखा यादव, अमित यादव उसके भाई का हाथ पकड़कर गुनानंद के दरवाजे पर ले गये और अरबिन्द यादव ने कहा कि साले को जान से मार दो तो गुनानंद यादव ने सिकेन्दर यादव के कपार पर फरसा चला दिया, वह जमीन पर जख्मी होकर नीचे गिर गया, उसके बाद सारे आदमी मिलकर दबिया फरसा से मारकर उसे जख्मी कर दिये और जब हमलोग

बचाने गये और पूछे कि काहे मार रहे हो तो सभी अभियुक्तों ने कहा कि साले भागो नहीं तो तुमको भी जान से मार देंगे, मैं चुपचाप वहॉ से खड़ा रहा, सभी अभियुक्तगण सिकेन्दर यादव को मारकर भाग गये और जब सिकेन्दर यादव को सदर अस्पताल ले जाया गया, वहॉ उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा कि अभियुक्तों से जमीन का झंझट चल रहा था और वह अपने दरवाजे से घटना देख रहा था तथा हल्ला किया था और बचाने गया था, उसके साथ कोई मारपीट नहीं किया था। हल्ला पर मृतक की पत्नी आयी। जब घ टना घट गयी तो उसने अपने भाई को उठाया था, मृतक के शरीर से खून बह रहा था, मेरे कपड़ा में खून लगा था और खून लगा कपड़ा पुलिस को दिखाया था तथा मेरा खून लगा कपड़ा पुलिस जप्त की थी। पुलिस शव को उसी रात देखी थी और मेरे सामने नौ दस बजे रात में कागज बनाया था, उसपर मैं अपना दस्तखत किया था और कौन लोग दस्तखत किये थे, मैं नहीं बता सकता हूॅ। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान पुनः कहा है कि अभियुक्त के घर से फरसा दबिया वगैरह बरामद नहीं हुआ था और उसने घटना के संबंध में दूसरे दिन आवेदन दिया था।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 2 राजेश यादव कांड के सूचक एवं कथित चक्षु साक्षी हैं और इस साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरसा दबिया से मारकर अपने भाई सक्कन यादव उर्फ सिकेन्दर यादव की हत्या करना अपने साक्ष्य के दौरान कहा है तथा यह भी कहा है कि हल्ला पर घटनास्थल पर घटना के समय मृतक की पत्नी भी आयी थी किन्तु मृतक की पत्नी वाद विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष अभियोजन मामला के समर्थन में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित नहीं हुई है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 बुचन यादव अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घ ोषित है और इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभियोजन मामला को कोई समर्थन नहीं दिया है। अभियोजन साक्षी संख्या 3 प्रमोद झा इस कांड के दूसरे अनुसंधानकर्ता हैं और इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मैंने अनुसंधान के क्रम में मैंने किसी भी साक्षी का न तो बयान लिया है और न वाद दैनिकी में अंकित किया है। इस साक्षी ने कहा है कि उसने कांड के अनुसंधान का भार प्रथम अनुसंधानकर्ता अरबिन्द कुमार मिश्रा से ग्रहण किया था। इस साक्षी के अभिसाक्ष्य से अभियोजन मामला को कोई समर्थन मिलता प्रतीत नहीं हो रहा है।

12. वाद विचारण के दौरान कांड के प्रथम अनुसंधानकर्ता अरबिन्द कुमार मिश्रा जिन्होंने अभियोजन साक्षियों का बयान वाद दैनिकी में अंकित किया है, न्यायालय के समक्ष अभियोजन मामला के समर्थन में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित नहीं हुए है जिससे कांड का घटनास्थल साबित नहीं है। मृतक की पत्नी भी न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित नहीं हुई हैं। अभियोजन साक्षी संख्या 2

राजेश यादव कांड के सूचक ने अपने साक्ष्य के दौरान कहा है कि उसने लिखित आवेदन थानाप्रभारी से लिखवाया था किन्तु थानाप्रभारी लिखित आवेदन में वर्णित तथ्यों को साबित करने के लिये न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं जो अभियोजन मामला के लिये घातक है। मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक को न तो न्यायालय में अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षित किया गया है और न तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श अंकित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 2 राजेश यादव कांड के सूचक के अभिसाक्ष्य के समर्थन में अभिलेख पर कोई संपोषक, विश्वसनीय और अमल करने योग्य साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं है। अतः एक मात्र साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या 2 राजेश यादव के अभिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषी ठहराना एवं दंडित करना सुरक्षित नहीं होगा। अभियोजन अपने मामले को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है और विधि के प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाते हुये आरोपित आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

13. बहस के दौरान विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 राजेश यादव कांड के सूचक एवं मृतक के भाई हैं तथा घटना के चक्षु साक्षी हैं और उसने अभियुक्तों को सक्कन यादव की हत्या फरसा एवं दबिया से मारकर करते हुये देखा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के प्रावधान के अनुसार एक मात्र साक्षी का अभिसाक्ष्य विश्वसनीय होने पर अमल करते हुये अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है। अतः अभियोजन साक्षी संख्या 1 बूचन यादव के पक्षद्रोही हो जाने तथा कांड के प्रथम अनुसंधानकर्ता अरबिन्द कुमार मिश्रा को न्यायालय में परीक्षित न किये जाने, मृतक की पत्नी, मृतक को पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर का साक्ष्य न होने से अभियोजन मामला पर कोई प्रभाव नहीं पर रहा है। विद्वान लोक अभियोजक का पुनः तर्क है कि अभियोजन अपने मामले को एक मात्र साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या 2 राजेश यादव के अभिसाक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित आरोपों में दोषी ठहराते हुये दंडित किया जाय।

14. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है और उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि जमीनी विवाद के कारण सूचक ने अभियुक्तों को वर्तमान वाद में झूठा फंसाया हैं। विद्वान अधिवक्ता का पुनः तर्क है कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 राजेश यादव कांड के सूचक के अभिसाक्ष्य के समर्थन में कोई संपोषक साक्ष्य नहीं है, यहॉ तक की मृतक की पत्नी भी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित नहीं हुयी है। लिखित

आवेदन लिखने वाले थाना प्रभारी भी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित नहीं हुये हैं एवं कांड के प्रथम अनुसंधानकर्ता अरबिन्द कुमार मिश्रा भी न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित नहीं हुये है, जिससे घटनास्थल साबित नहीं है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक को न तो न्यायालय में परीक्षित किया गया है और न तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लाया गया है। अभियोजन मामला मनगढ़ंत, बनावटी एवं संदेहास्पद है तथा अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः संदेह का लाभ देते हुये अभियुक्तगण को आरोपित आरोपां से दोषमुक्त किया जाय।

15. उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का सुनिश्चित मत है कि अभियुक्तगण खोखा यादव, अरबिन्द यादव, अमित यादव, गुनाय यादव और किरण देवी के विरूद्ध अभियोजन भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 323/34, 302/149, 307/149, 324, 341, 504, 506 भा0द0वि0 के आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। तद्नुसार, संदेह का लाभ देते हुये उपरोक्त पॉचों अभियुक्तों को उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण अरबिन्द यादव, किरण देवी और खोखा यादव जमानत पर मुक्त है। अतः उनके जमानतदारों को प्रतिभू के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है और जमानत पर मुक्त अभियुक्तों को वर्तमान कांड से स्वतंत्र किया जाता है। दो अभियुक्त गुनाय यादव और अमित यादव वर्तमान कांड में काराधीन है, अतः कारा से स्वतंत्र किये जाने हेतु कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अविलंब काराधीन अभियुक्तों को कारा से मुक्त किये जाने हेतु मुक्ति आदेश निर्गत करे और अधीक्षक मंडल कारा, सहरसा को भी निर्देश दिया जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा निर्गत मुक्ति आदेश प्राप्त होने पर तत्काल काराधीन अभियुक्तगण गुनाय यादव और अमित यादव को कारा से मुक्त करें, यदि काराधीन अभियुक्तगण किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

निर्णय मेरे द्वारा शुद्धित, हस्ताक्षरित एवं
खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
सहरसा
दिनांकः 14.08.2024

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
सहरसा
दिनांकः 14.08.2024

परिशिष्टि

प्रपत्र–ग

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की सूची

क–अभियोजन पक्ष साक्ष्य

कमांक	नाम	साक्ष्य के प्रकार (चक्षु साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य साक्षी)
अभि0सा0–1	बूचन यादव	अन्य साक्षी
अभि0सा0–2	राजेश यादव	सूचक (चक्षु साक्षी)
अभि0सा0–3	प्रमोद झा	अनुसंधानर्ता (पुलिस साक्षी)

बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की सूची

ख–बचाव पक्ष साक्ष्य, यदि हो तो

कमांक	नाम	साक्ष्य के प्रकार (चक्षु साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य साक्षी)
	––	––

न्यायालय की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की सूची

ग–न्यायालय की ओर से साक्ष्य, यदि हो तो

कमांक	नाम	साक्ष्य के प्रकार (चक्षु साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य साक्षी)
	––	––

अभियोजन की ओर से प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन पक्ष प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श–P-1/P.W.-2	लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर
2	प्रदर्श–P-2/P.W.-3	लिखित आवेदन पर कांड के पंजीयन और अनुसंधान का भार ग्रहण करने संबंधी पृष्ठांकन

बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श की सूची

ख–बचाव पक्ष प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
	––	––

न्यायालय की ओर से प्रदर्श की सूची

ग–न्यायालय की ओर से प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
	––	––

भौतिक वस्तु

कमांक	पदार्थ	विवरण
	––	––